समाहरणालय, औरंगाबाद

(जिला कल्याण शाखा)

निविदा आमंत्रण सूचना

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत जन नायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं राजकीय अम्बेदकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, औरंगाबाद में आवासित छात्र/छात्राओं के उपयोग हेतु विभागीय आदेशानुसार सामग्रियों का क्रय हेतु दर निर्धारित किया जाना है। जिसकी आपूर्ति वित्तीय वर्ष 2019–20 में की जायेगी।

सामग्रियों को आपूर्ति हेतु इच्छुक आपूर्त्तिकर्त्ताओं से एतद सीलबंद निविदा जिला कल्याण कार्यालय, औरंगाबाद में सूचना प्रकाशन की तिथि से 11:00 बजे पूर्वाहन् से 04:00 बजे अपराहन् तक प्रत्येक कार्य दिवस में आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत जानकारी औरंगाबाद जिला के वेबसााईट www.Aurangabad.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

1. निविदादाताओं को मो0– 30000.00 (तीस हजार) रू0 प्रति ग्रुप की दर से अलग–अलग जमानत की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में तकनीकि निविदा के साथ संलग्न करना होगा, जो जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद के नाम से विकलनीय होगा। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि 19.09.2019 के 04:00 बजे अपराहन तक होगी। निविदा दिनांक– 20.09.2019 को 11:00 बजे पूर्वाहन् में खोली जायेगी।

निविदा की आवश्यक शर्ते :–

1. निविदा में एक तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग शील्ड/मुहरबन्द लिफाफे में डालकर एक बड़ा लिफाफा में जमा करना होगा।
2. तकनीकि निविदा के साथ फार्म रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, जी0एस0टी का निबंध प्रमाण पत्र एवं विगत तीन वर्षो का आयकर विवरणी दाखिल करने का साक्ष्य, पैन नम्बर, चरित्र प्रमाण पत्र तथा अनुभव प्रमाण–पत्र (कार्यदेश नहीं) संलग्न करना होगा। निविदादाता का प्रत्येक वर्ष पचास लाख का टर्न ओवर आवश्यक है।
3. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
4. वित्तीय निविदा में सभी अनुमान्य कर एवं परिवहन व्यय शामिल करते हुए सामग्री की दर स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है। वित्तीय निविदा में कटिंग या ओभर राईटिंग मान्य नहीं होगा। अंकित दर ROUND FIGURE में होना चाहिए अन्यथा उसपर विचार नहीं किया जाएगा। अगर किसी सामग्री में छुट का प्रावधान हो तो छुट के पश्चात आपूर्ति की जाने वाली मूल्य ही अंकित किया जाए।
5. निविदा निर्धारण के समय निविदादाता/प्रतिनिधि जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष सभी सामग्रियों के नमुना के साथ उपस्थित रहेंगे। नमूना अनिवार्य है।
6. इलेक्ट्रोनिक सामग्री, आई0एस0आई0 प्रमाणित ही स्वीकार्य होगा।
7. वारण्टी युक्त/गारण्टी युक्त सामग्रियों से संबंधित सुरक्षित जम वारण्टी/गारण्टी अवधि मे आनुपातिक रूप से वापस किया जाएगा।
8. साम्रगी आपूर्ति करने के उपरांत विधिवत प्राप्ति रसीद समर्पित करने के पश्चात भुगतेय राशि का भुगतान किया जाएगा। किसी प्रकार का अग्रिम एवं परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

9. निविदा स्वीकृति के पश्चात संबंधित सफल आपूर्तिकर्त्ता को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पूर्व में ही एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा, कि आपूर्ति आदेश के पन्द्रह दिनों के अन्दर स्वीकृत नमूना के अनुरूप वांछित संख्या, साईज, गुणवत्ता, मात्रा के अनुसार सामग्री की आपूर्ति निश्चित रुपये से कर देंगे, अन्यथा प्रतिभूति राशि जब्त कर अग्रेत्तर नियमानुकुल कार्रवाई की जायेगी।
10. निविदा में सफल आपूतिकर्त्ता को छात्रावासों में आवश्यक सामग्री का आकलन कर उपयोग होने वाली सामग्रियों का ही आदेश निर्गत किया जाएगा।
11. स्वीकृत किये गए सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने एवं आपूर्ति की गई सामग्रियों में गुणवत्ता तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आपूर्ति की गई सामग्री अस्वीकृत करते हुए सुरक्षित जमा राशि जब्त कर ली जाएगी एवं काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई भी की जायेगी।
12. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद किसी भी परिस्थिति में निविदा जमा नहीं लिया जाएगा।
13. स्वीकृत निविदाताओं को छोड़ कर शेष निविदादाताओं को जमानत राशि वापस कर दी जाएगी।
14. निविदा में अंकित सामग्री/विशिष्टि के अतिरिक्त अपने से किसी प्रकार का अन्य सामग्री/गुणवत्ता का दर अंकित नहीं करें। एक सामग्री का दर एक हीं अंकित करें अन्यथा उस निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। हर स्थिति में अपने नमूना के अनुरूप सामग्री का एक हीं निश्चित दर अंकित करें। ब्रांडेड कंपनी के सामानों का एम0 आर0 पी0 भी दर्ज करना आवश्यक होगा।
15. कोई भी निविदा या दावा औरंगाबाद जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीन होगा।
16. सामग्री की गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्युनतम मूल्यांकित दर दी जाएगी, जिसके लिए नमुना अनिवार्य होगा।
17. सामग्री की गुणवत्ता को दृष्टि में रखते हुए न्यूनतम दर के निविदाकर्त्ता को प्राथमिकता दी जायेगी।
18. आपूर्ति की गई सामग्री की गुणवत्ता एवं विशिष्टता सत्यापन के पश्चात, अनुमान्य बिक्री कर एवं आयकर तथा अन्य अनुमान्य करों की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
19. निविदादाता अथवा संबंधित फर्म को इस आशय का शपथ–पत्र मूल में समर्पित करना होगा कि उन्हें किसी सरकारी विभाग द्वारा पूर्व में काली सूची में नहीं डाला गया है। न्यूनतम निविदा तक क्रम
20. निर्धारित तिथि तक आपूर्ति नहीं करने पर पुनः दूसरे अन्य सफल निविदादाताओं से सामग्रियों की आपूर्ति लिया जा सकता है।
21. किसी भी निविदा को अस्वीकृत एवं रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

20.8.19

उप विकास आयुक्त,
औरंगाबाद।